

पुस्तिकादि जादेश दिनांक 26-8-14 भारत द्वारा आ क्रॉक रिस्केरे
 राजस्व गण्डल मज्जु गजालि र पृच्छु पुनर्विनीकः 1961-तान/14
 विस्व जादेश दिनांक 5-5-14 भारत द्वारा राजस्व गण्डल मज्जु
 गजालि र पृच्छु निगिरा त 100-तान/14 • ५ अर आयुक्ता लागिर
 रभिमि लागिर का पृच्छु 101, 102/क-6/क/10-14 •

1- सुमोद अजाल पुत्र आ जानका सुसाद
 2- लीलाकुमार अजाल पुत्र आ विश्वेराजक
 निवासी गणहटवारा मोहला उत्तरपुर --- जावेकमज

विस्व

1- श्रमिता लामि अजाल बली आ रमेश मन्ड
 निवासी ललता जी निवासी उत्तराज चौक
 बाणपुत्र कालि के लागने उत्तरपुर मज्जु
 2- लीलाज गुप्ता पुत्र आ लली गुप्ता
 निवासी हटवारा मोहला उत्तरपुर
 3- मज्जु शासन --- जावेकमज

प्रतिनामि आदेशा दिनांक 26-8-14 पारित द्वारा श्री जॉर्ज शिखरे
तरसा राजस्व मण्डल मज्जु प्रबालिकर पुष्कल पुताविलोक- 1961-तीन/14
विरु आदेशा दिनांक 5-5-14 पारित द्वारा राजस्व मण्डल मज्जु
प्रबालिकर पुष्कल निगरा न 753-तीन/14 • प्र अर आयुक्ता सागर
शभाग सागर का पुष्कल 131, 132/क-6/क/13-14 •

1- पुमोद अग्रवाल पुत्र श्री जानकी प्रसाद

2- शशि कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरोलका

निवासा गणहटवारा मोहल्ला उत्तरपुर

--- आवेदकगण

विरु

1- श्रीमती लीमा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश मन्दि

निवासा रतना बाज निवासा उत्तराल चौके

बा0एड0 कॉलेज के सामने उत्तरपुर मज्जु

2- ओटेलाल गुप्ता पुत्र श्री लल्ले गुप्ता


निवासा हटवारा मोहल्ला उत्तरपुर

3- मज्जु शासन

--- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 पुनर्विलोकन 1961-तीन/14
 प्रकरण क्रमांक..... जिला उत्तरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8-14	<p>प्रकरण में ग्राह्यता से पूर्व अभिलेखा देखा जाने के लिये दिनांक 13-10-14 प्रकरण नियत था। प्रकरण का मूल अभिलेखा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1962-तीन/14 के साथ सलग्न था जिसका अवलोकन किया गया कि उक्त पुनर्विलोकन दिनांक 25-8-14 को अंगूठ किया गया है दोनों पुनर्विलोकन प्रकरणों को किन्हीं वस्तु एक है, इसलिये इस प्रकरण में पृथक् से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 पुनर्विलोकन 1961-तीन/14 जिला उत्तरप्र

प्रकरण क्रमांक

जिला

उत्तरप्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-8-14	<p>प्रकरण में ग्राह्यता से पूर्व अभिलेखा देहे जाने के लिये दिनांक 13-10-14 प्रकरण नियत था। प्रकरण का मूल अभिलेखा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1962-तीन/14 के साथ सलग्न था जिसका अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त पुनर्विलोकन दिनांक 25-8-14 को आह्वान किया गया है दोनों पुनर्विलोकन प्रकरणों को विचार वस्तु एक है, इसलिये इस प्रकरण में पृथक् से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	